भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3526

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

बैंकिंग क्षेत्र में राजनीतिक संबंध रखने वाले व्यक्ति

†3526. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में राजनीतिक संबंध रखने वाले व्यक्तियों (पीईपी) शब्द का प्रयोग किया जाता है और यदि हां, तो इसकी क्या परिभाषा है और इसके अंतर्गत परिवार सदस्य और करीबी सहयोगियों सहित किन श्रेणियों के लोग आते हैं;

(ख) मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत पीईपी के रूप में वर्गीकृत या माने गए सार्वजनिक पदों, व्यवसायों/पेशों या व्यक्तियों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन चिंताओं के बारे में जानकारी है कि इस तरह के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधियों, सार्वजनिक पदों पर आसीन अन्य व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में गहन संवीक्षा, प्रतिबंध या कठिनाई हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पीईपी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का विचार है कि इस तरह के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के साथ अनुचित भेदभाव या कठिनाई न हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), 2025 के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मास्टर निदेश के अनुसार, शब्द "राजनीतिक संबंध रखने वाले व्यक्ति" (पीईपी) उन व्यक्तियों को कवर करने के लिए निर्धारित किया गया है जिन्हें किसी अन्य देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा जाता है या सौंपा गया है , जिसमें राज्यों / सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।

केवाईसी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश में बैंकों को पीईपी (चाहे ग्राहक या लाभकारी स्वामी के रूप में) के साथ संबंध स्थापित करने का विकल्प दिया गया है, बशर्ते कि सामान्य ग्राहक सम्यक तत्परता के अलावा, निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए:

i. बैंकों को यह निर्धारित करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करनी होगी कि ग्राहक या लाभकारी स्वामी पीईपी है या नहीं;

ii. निधियों/धन के स्त्रोत को स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा उचित उपाय किए जाते हैं;

iii. पीईपी के लिए खाता खोलने की मंज़ूरी वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त की जानी चाहिए;

iv. ऐसे सभी खातों की सतत् आधार पर बढ़ी हुई निगरानी की जाती है;

v. किसी मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते के लाभकारी स्वामी के बाद में पीईपी बनने की स्थिति में, व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त की जाती है;

ये निर्देश पीईपी के परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों पर भी लागू होते हैं।

आरबीआई ने बैंकों को पीईपी वर्गीकरण का उपयोग केवल जोखिम मूल्यांकन उपकरण के रूप में करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, यह इस बात पर जोर देता है कि पीईपी के लिए बढ़ी हुई सम्यक तत्परता आवश्यक है; इससे भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
